

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

धारा-4(1)

बिन्दु क्रमांक 4

कृत्यों के निर्वाहन के लिये उसके

द्वारा मानदण्ड / प्रतिमान निश्चय

करना

कृत्यों के निर्वाहन के लिये उसके द्वारा मानदण्ड / प्रतिमान निश्चय करना

4 कार्य के निर्वहन के लिये निर्धारित मापदण्ड

4.1 मंत्रालयीन कार्य प्रणाली पुस्तिका – विभागाध्यक्ष कार्यालय होने के कारण लागू नहीं।

4.2 म.प्र.शासन के कार्य (आंवटन) नियम – प्रभावशील है।

4.3 म.प्र.कार्यपालन शासन के कार्य नियम – प्रभावशील है।